श्रम न्यायालय, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः सुरेश प्रकाश भट्ट
(R.J.S. D.J.कैडर)

प्रकरण संख्या **L.C.R.08/2017 (09/2017)**

प्रसंग : राजस्थान सरकार, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1(1)185/श्र.नि./2015 दिनांक 24.07.2017

संजय पुत्र श्री किशन, जाति हरिजन, निवासी हरिजन बस्ती, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर .....प्रार्थी

बनाम

आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर।
.....अप्रार्थी

निर्देश/विवाद अन्तर्गत धारा 10(1)ग औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से प्रतिनिधि :– श्री ओमप्रकाश शर्मा
अप्रार्थी की ओर से प्रतिनिधि :– एकतरफा कार्यवाही

पंचाट

दिनांक 15.07.2022

1– राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे चलकर 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 10 (1) ग सपठित धारा 12(5) के तहत यह औधोगिक विवाद इस न्यायालय में अधिनिर्णय हेतु प्रेषित किया हैः–

1. ''क्या प्रार्थीपक्ष द्वारा अपनी सेवामुक्ति का विवाद 17 वर्ष की असामयिक देरी से उठाया जाना उचित है?''
2. यदि हॉ, तो क्या श्रमिक संजय पुत्र श्री किशन हरिजन जाति हरिजन निवासी हरिजन बस्ती, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर को नियोजन आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 01.11.1997 को सेवा से हटाया जाना उचित एवं वैध है? यदि नहीं, तो श्रमिक किस राहत एवं राशि को पाने का अधिकारी है?''

1– प्रार्थी की ओर से एक वाद विवरण (स्टेटमेन्ट आफ क्लेम) इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी द्वारा नगर परिषद, गंगापुर सिटी, जो पूर्व में नगर पालिका थी, में सफाई कर्मचारी के पद पर जनवरी 1992 से अक्टूबर 1997 तक दैनिक वेतन के आधार पर लगातार 5 वर्ष तक कार्य किया तत्पश्चात नियोजक द्वारा दिनांक 01.11.1997 को बिना किसी उचित व वैध कारण के, बिना किसी लिखित आदेश के प्रार्थी श्रमिक से कनिष्ठ सफाई कर्मचारी को सेवा में निरन्तर रखते हुये कार्य के होते हुये अवैधानिक रूप से सेवा से पृथक कर दिया गया, जो धारा

25 एफ व एच के तहत अवैधानिक है। प्रार्थी को सेवा से हटाने से पूर्व न तो नियमानुसार कोई छंटनी की गई, न ही कोई वरिष्ठता सूची बनाई गई, न ही छंटनी से पूर्व प्रार्थी को कोई नोटिस दिया गया। प्रार्थी द्वारा तत्समय नियोजक को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें सेवा से पृथक करने के मौखिक आदेश को निरस्त करते हुये प्रार्थी को पुनः सेवा में लिये जाने की प्रार्थना की गई। जिस पर नियोजक द्वारा प्रार्थी को आश्वासन दिया गया कि नियमित नियुक्ति आने वाली है, एवं नगर पालिका का पूर्व श्रमिक होने के कारण वरीयता के आधार सफाई कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति के आदेश देंगे, परन्तु जब तक नियमित नियुक्ति न हो, तब तक सेवा से बाहर होना पडेगा। जिस पर प्रार्थी काफी समय तक इंतजार करते रहे। स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा नगर पालिका गंगापुर सिटी में सफाई कर्मचारियों के 17 पद सीधी भर्ती हेतु सृजित किये गये, जिसमें भी प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु नियोजक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये पहले जिन व्यक्तियों ने कार्य किया, उन्हें सेवा में नहीं लिया जाकर नये व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगर परिषद, गंगापुर सिटी व अन्य सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों के लिये आदेश जारी करते हुये परिपत्र क्रमांक 2409–2592 दिनांक 28.05.1999 को जारी कर यह आदेशित किया गया कि दैनिक वेतन पर कार्यरत श्रमिकों को सेवा में लेते हुये नियमित किया जावे। प्रार्थी को नियुक्ति के अधिकार से वंचित किया गया, जिसके विरूद्ध विवाद उठाया गया। प्रार्थी सेवा से पृथक करने के मौखिक आदेश दिनांक 01.11.1997 को अवैध घोषित कराते हुये प्रार्थी को पुनः सफाई कर्मचारी के पद पर निरन्तर सेवा में होना मानकर नियमित नियुक्ति के साथ सभी लाभ परिलाभों के साथ नियमित नियुक्ति दिलवाई जावे।

2– अप्रार्थी की ओर से वाद विवरण का जवाब पेश किया गया और वाद विवरण के सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुये यह अभिकथित किया है कि, प्रार्थी श्रमिक ने नगर पालिका गंगापुर सिटी में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत सफाई का कार्य संविदा पर माह अक्टूबर 1991 में 17 दिन, माह नवम्बर 1991 में 22½ दिन, माह अप्रैल 1992 में 25 दिन, माह अक्टूबर 1992 में 26 दिन, माह नवम्बर 1992 में 26 दिन कुल 116½ दिन दैनिक मजदूरी पर कार्य किया और नवम्बर 1992 के बाद कोई सफाई का कार्य न होने के कारण प्रार्थी ने कोई कार्य नहीं किया है। प्रार्थी ने जब पूर्व नगर पालिका में कभी स्थाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं रहा तो प्रार्थी को सेवा से पृथक करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। नगर पालिका में अधिशाषी अधिकारी कोई नियोजक

नहीं होता है और ना ही प्रार्थी को कोई आश्वासन नियमित नियुक्ति आने वाली में नियुक्ति करने बाबत दिया गया। प्रार्थी ने कोई 240 दिवस किसी भी वर्ष में नगर पालिका गंगापुर सिटी मे कार्य नहीं किया है। इस कारण स्वायत्त शासन विभाग का परिपत्र दिनांक 13.01.2003 एवं विज्ञप्ति 1/12 प्रार्थी पर लागू नहीं होता है। राज्य सरकार एवं निदेशालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.04.2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था एवं दिनांक 16.04.2018 से 15.05.2018 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, प्रार्थी ने भी सफाई कर्मचारी हेतु नगर पालिका में आवेदन किया था, जो क्रमांक 1020 पर दर्ज किया गया, प्रार्थी का चयन लाटरी में नहीं हुआ था। प्रार्थी ने बिना किसी औचित्यता के 25 वर्ष बाद न्यायालय में पेश किया है। अतः प्रार्थी का स्टेटमेंट ऑफ क्लेम मय खर्चा खारिज किया जावे।

3– यहॉ यह उल्लेखनीय है कि आदेशिका दिनांक 08.04.2022 में यह उल्लेख है कि अप्रार्थी पक्ष को कई बार रूक–रूक कर अवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिस पर अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 08.04.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अलम में लाई गई।

4– प्रार्थी की ओर से एकपक्षीय साक्ष्य में स्वयं द्वारा दिनांक 08.04.2022 को शपथ पत्र पेश किया गया, जिसमें प्रार्थी ने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के तथ्यों को ही दोहराया है तथा सेवा से पृथक करने के मौखिक आदेश दिनांक 01.11.1997 को अवैधा घोषित कराते हुये नियमित नियुक्ति के साथ सभी लाभ परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी बताया है।

5– मेरे द्वारा प्रार्थी प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्धान प्रतिनिधि ने बहस में कथन किया कि, प्रार्थी ने अप्रार्थी नगर परिषद गंगापुर सिटी में सफाई कर्मचारी के पद पर जनवरी 1992 से अक्टूबर 1997 तक दैनिक वेतन के आधार पर लगातार कार्य किया है। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है तथा प्रार्थी के कथनों का कोई खण्डन नहीं आया है। अतः प्रस्तुत याचिका के आधार पर प्रार्थी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

6– प्रार्थी पक्ष की एकतरफा बहस सुनने, पत्रावली व विधिव्यवस्थाओं का अवलोकन व मनन् करने के उपरान्त रेफरेंस में प्राप्त विवाद बिन्दुओं पर न्यायालय का विवेचन निम्नप्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या–1 इस प्रकार है कि :–

''क्या प्रार्थीपक्ष द्वारा अपनी सेवामुक्ति का विवाद 17 वर्ष की असामयिक देरी से उठाया जाना उचित है?''

उक्त विवादक को साबित करने का भार प्रार्थी पर था। प्रार्थी ने अपने क्लेम व साक्ष्य शपथ पत्र में अभिलिखित किया है कि नियोजक द्वारा प्रार्थी को आश्वासन दिया गया कि नियमित नियुक्ति आने वाली है, एवं नगर पालिका में पूर्व श्रमिक होने के कारण वरीयता के आधार पर सफाई कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति के आदेश देंगे, जिस पर प्रार्थी काफी समय तक इंतजार करता रहा, इसलिये प्रार्थी ने विवाद उठाने में देरी होना बताया है।

यहॉ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि प्रार्थी द्वारा उसकी सेवा पृथक्कीरण के 17 वर्ष पश्चात क्लेम पेश करने के सम्बन्ध में किसी अन्य प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं है, जो उक्त साक्ष्य आई है, वह कतई विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आश्वासनों पर बहुत लम्बे समय तक विश्वास कर कानूनी कार्यवाही से अपने को दूर रखे यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। **यद्यपि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में लिमिटेशन एक्ट के तहत विवाद उत्पन्न होने के बाद कितनी अवधि में विवाद उठाया जाना चाहिये, ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं है। इसलिये विलम्ब से विवाद उठाने से प्रार्थी के अनुतोष से इन्कार नहीं किया जा सकता। परन्तु विलम्ब से विवाद उठाने पर अनुतोष देते समय विलम्ब को ध्यान में रखा जाना चाहिये, ऐसा न्यायिक दृष्टान्त आर.एल. आर. 2001(3) में अभिनिर्धारित किया गया है।**

उक्त विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि 17 वर्ष के विलम्ब से विवाद पेश करने पर प्रार्थी का प्रकरण खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा 17 वर्ष की देरी से विवाद उठाया जाना अनुचित नहीं है।

7– विवाद्यक संख्या–2 इस प्रकार है किः–

> ''क्या श्रमिक संजय पुत्र श्री किशन हरिजन जाति हरिजन निवासी हरिजन बस्ती, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर को नियोजन आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 01.11.1997 को सेवा से हटाया जाना उचित एवं वैध है? यदि नहीं, तो श्रमिक किस राहत एवं राशि को पाने का अधिकारी है?''

8– प्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में अभिलिखित किया है कि उसने अप्रार्थी नियोजक नगर परिषद गंगापुर सिटी जो पूर्व में नगर पालिका थी, मे सफाई कर्मचारी के पद पर जनवरी 1992 से अक्टूबर 1997 तक दैनिक वेतन के आधार पर लगातार कार्य किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में अपनी साक्ष्य के रूप में जो शपथ पत्र पेश किया है, उसमें भी प्रार्थी ने उक्त कथनों को ही दोहराया है।

9– अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थी के स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के जवाब में प्रार्थी को नेहरू रोजगार योजनान्तर्गत 116½ दिन कार्य करना

बताया है। परन्तु अप्रार्थी की ओर से अपने उक्त कथनों की सम्पुष्टि हेतु कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ है।

अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने कारण प्रार्थी के क्लेम व मुख्य परीक्षा का खण्डन नहीं हो पाया है, इसलिये प्रार्थी की साक्ष्य से प्रार्थी के स्टेटमेंट ऑफ क्लेम की सम्पुष्टि होती है।

10– प्रार्थी की तरफ से आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित पाया जाता है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के यहॉ करीब 5 वर्ष से अधिक की सेवायें दी है और प्रार्थी ने अपनी सेवा समाप्ति से पूर्व अप्रार्थी के अधीन अन्तिम कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक समय तक लगातार काम किया है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की सेवा दिनांक 01.11.1997 को धारा 25 एफ की पालना किये बिना समाप्त कर दी गई है, इसलिये अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की सेवा समाप्त किया जाना अवैध व अनुचित पाया जाता है।

11– अब न्यायालय को यह विचार करना है कि प्रार्थी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है? प्रकरण के निस्तारण में यह पाया गया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के अधीन जनवरी 1992 से अक्टूबर 1997 तक प्रत्येक वर्ष में 240 दिवस से अधिक की सेवा पूर्ण की है, परन्तु उसकी दिनांक 01.11.1997 को छंटनी करने से पूर्व अधिनियम की धारा 25एफ की पालना नहीं की गई है। इस कारण उसकी सेवा समाप्ति दिनांक 01.11.1997 को अवैध व अनुचित है।

12– उपरोक्त विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि प्रार्थी ने उक्त विवाद सेवा समाप्ति से लगभग 17 वर्ष की देरी से उठाया है। इस क्रम में मार्गदर्शन प्राप्त हेतु न्यायिक दृष्टान्त ''2019 LLR State of Uttrakhand & Anr Vs. Raj Kumar" का अवलोकन किया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि दैनिक वेतन भोगी के रूप में कर्मकार ने लगभग एक वर्ष तक काम किया है और औद्योगिक विवाद को 25 वर्ष बाद उठाया गया है तो उसकी बहाली न्यायोचित नहीं मानकर एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि का ही हकदार माना है, जो कि प्रार्थी को प्रदत्त किये जाने वाले अनुतोष के क्रम मात्र हेतु गौर किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने अप्रार्थी के नियोजन में लगभग 5 वर्ष कार्य किया है और सेवा समाप्ति के 17 वर्ष बाद सेवा में पुनः लिये जाने हेतु विवाद पेश किया है। यद्यपि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में लिमिटेशन एक्ट के तहत विवाद उत्पन्न होने के बाद कितनी अवधि में विवाद उठाया जाना चाहिये, ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं है। इसलिये विलम्ब से विवाद उठाने से प्रार्थी के अनुतोष से इन्कार नहीं किया जा सकता। परन्तु विलम्ब से विवाद उठाने पर अनुतोष देते समय विलम्ब को ध्यान में रखा जाना चाहिये, ऐसा न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.आर. 2001(3) में अभिनिर्धारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टान्तों की

रोशनी में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि प्रार्थी को पुनः सेवा में लिये जाने के स्थान पर पचांट दिनांक 15.07.2022 से दो माह में प्रार्थी को क्षतिपूर्ति स्वरूप एकमुश्त राशि 1,00,000/–रूपये (अक्षरे राशि एक लाख रूपये) एवं वाद व्यय 5000/–रूपये अप्रार्थी से पंचाट दिनांक 15.07.2022 से दो माह में दिलाये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यदि अप्रार्थी उक्त राशि को प्रार्थी को दो माह में अदा नहीं करता है तो प्रार्थी उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर पंचाट दिनांक 15.07.2022 से ताअदायगी 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज भी अप्रार्थी से प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

13– परिणाम स्वरूप एकपक्षीय पंचाट निम्नप्रकार पारित किया जाता हैः

''कि प्रार्थी संजय पुत्र श्री किशन हरिजन जाति हरिजन निवासी हरिजन बस्ती, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर को नियोजन आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 01.11.1997 को सेवा से हटाया जाना अनुचित एवं अवैध है।

अतः अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी को क्षतिपूर्ति स्वरूप एकमुश्त राशि 1,00,000/–रूपये (अक्षरे राशि एक लाख रूपये) एवं वाद व्यय 5,000/–रूपये पंचाट दिनांक 15.07.2022 से दो माह में अदा करें। यदि अप्रार्थी उक्त राशि को पंचाट दिनांक से दो माह में प्रार्थी को अदा नहीं करता है तो प्रार्थी उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर पंचाट दिनांक 15.07.2022 से ताअदायगी 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज भी अप्रार्थी से प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा।

उक्त प्रकार से रेफरेन्स का उत्तर दिया जाकर पंचाट पारित किया जाता है। पंचाट की प्रति प्रकाशन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित हो।''

(सुरेश प्रकाश भट्ट)
न्यायाधीश,
औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,
भरतपुर राज0

पंचाट आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(सुरेश प्रकाश भट्ट)
न्यायाधीश,
औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,
भरतपुर राज0